न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/06/2020	30—01—2020	25—02—2020

01. मंगलाराम पुत्र श्री भौरेलाल जाति बलाई निवासी ग्राम दुंदपुरी तहसील राजगढ जिला अलवर। —अपीलांट

बनाम

01. उप—तहसीलदार टहला, जिला अलवर। —रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप—तहसीलदार टहला दिनांक 09.10.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 153/2019

उपस्थितः—

01—श्री जगदीश शर्मा —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट्स ने यह अपील उपतहसीलदार टहला के आदेश दिनांक 09.10.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम दुंदपुरी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 15.56 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम दुंदपुरी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 624 रकबा 15.56 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.09.19 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 2 माह 15 दिवस की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 09.10.2019 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2019 के विरूद्ध दिनांक 27.01.20 को पेश किया। जो करीब 3 माह 18 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 28.01.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है तथा पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट्स दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25—02—2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)